BUILDING PLAN APPROVAL

UNDERTAKING

मैं .... पुत्र/पुत्री .... आयु ....वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. यह कि भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या .... स्थान .... में स्थित है जिसका क्षेत्रफल .... वर्गमीटर है, का स्वामी/होल्डर हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा ....विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास में भवन निर्माण हेतु उपरोक्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किये जा रहे है। भूमि पूर्णतः मेरे स्वामित्व की है तथा ....विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भूमि अवाप्त है।
3. यह कि उक्त भूखण्ड जिसके भवन निर्माण के मानचित्र मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक .... के द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिन पर .... विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास स्वीकृति देने में सहमत हैं। उक्त स्वीकृति के कारण यदि .... विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च/नुकसान/मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो मैं उनकी इस क्षति को पूर्ण करूगा।
4. प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/एचटी लाईन/स्थाई/अस्थाई निर्माण निर्माण नहीं है।
5. यह कि भवन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त भूखण्ड के अनुमोदित भवन मानचित्रों में बेसमेन्ट में .... वर्गमीटर स्टील्ट में .... वर्गमीटर एवं खुले क्षेत्र में .... वर्गमीटर के जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है, के संबंध में .... विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के हक में यह शपथ पत्र देता हूँ कि इसे केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जायेगा व उक्त पार्किंग क्षेत्र मे अनुमोदित मानचित्रानुसार .... ईसीयू(.................... कार, ... स्कूटर) उपलब्ध कराऊँगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर, ... विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा संबंधित क्रेता जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है, से वसूला जा सकेगा।
6. यह कि प्रस्तावित भवन में सौर ऊर्जा उपकरण एवं वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान भवन विनियमानुसार करूँगा/करूँगी/करेगें।
7. यह है कि प्रस्तावित भवन में विद्युत सेवाऐं बिल्डिंग कोड के प्रावधानानुसार एवं भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान अनुसार करूँगा/करूँगी /करेगें।
8. यह है कि प्रस्तावित भवन के नागरिक उड्डयन विभाग व अग्निशमन विभाग तथा पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित भवन के मानचित्र

उपरोक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्राप्त कर सकेगा तथा उक्त कारण से होने वाली देरी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

9. यह है कि अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका .... द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावेगी। तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखेगे जावेगे तथा इनको संचालित करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति भवन में हर समय उपलब्ध रहेगा।

10. यह है कि उक्त भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति करूँगा जिसके पास भवन का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) उपलब्ध रहेगे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नं0 भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त .... व अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावेगी ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकेगे। साथ ही अग्नि एवं आपदा की स्थिति में यथोचित निकास की व्यवस्था रहेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं .... शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ/करते है कि उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेछा से रू–ब–रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता